<u>न्यायालय समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प-भोपाल म.प्र.</u>

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/4306

प्र0कं0......./निगरानी/17-18

दीपा गुप्ता पत्नी श्री हरिमोहन गुप्ता
आयु वयस्क निवासी-बी-22, 74,बंगलो
साऊथ टी.टी. नगर भोपाल.

.............निगरानीकर्ता

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा अधीक्षक
भू-अभिलेख तहसील हुजूर भोपाल.

.................रेस्पॉडेन्ट

श्री [illegible] अभिभाषक [illegible] 3-10-17 को प्रस्तुत किया

:: निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 ::

महोदय,

सेवा में यह निगरानी श्रीमान् सहायक भू.अधीक्षक तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा राजस्व प्रकरण कं. 04/अ-68/16-17 में प्रस्तुत सीमाकंन कार्यवाही दिनांक 01.05.2017 से परिवेदित होकर प्रस्तुत हैं :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

(103)

प्रकरण क्रमांक पीबीआर / निगरानी / भोपाल / भू.रा. / 2017 / 3640 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–6–2017 पारित द्वारा तहसीलदार राज0परि0टी0टी0नगर वृत्त भोपाल, प्रकरण क्रमांक 4 / अ–68 / 2016–17

....

जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी,
33 जागरण भवन, प्रेस काम्प्लेक्स, जोन–1,
एम.पी.नगर,भोपाल
द्वारा हरिमोहन गुप्ता आत्मज स्व0श्री गुरूदेव गुप्त

.... आवेदक

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन
द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
राज0परि0टी0टी0नगर भोपाल
2–तहसीलदार
राज0परि0टी0टी0नगर भोपाल

.... अनावेदकगण

....

श्री सी0एम0रावतिया, अभिभाषक–आवेदक

....

:: आदेश ::
(आज दिनांक 14/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार राज0परि0टी0टी0नगर वृत्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि लोकायुक्त जॉच प्रकरण कमांक 41/2016 के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टी0टी0नगर भोपाल द्वारा दिनांक 4–3–17 को आदेश पारित कर सीमांकन दल का गठन किया जाकर ग्राम चन्दनपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 73, 84 एवं 92 का सीमांकन किया जाकर 15 दिवस में सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया तद्नुसार सीमांकन दल द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का सीमांकन किया जाकर प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा उक्त प्रतिवेदन के आधार पर 30–6–2017 को प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदक को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया । तहसीलदार के इसी कारण बताओं सूचना पत्र के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन पंचनामा में स्पष्ट उल्लेख है कि सीमांकन समाप्ति के उपरांत मौके पर पंचगणों को आहूत किया गया इस आधार पर कहा गया कि कि पंचगणों की उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन नहीं किया गया । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पंचनामे से यह स्पष्ट है ए0टी0एस0 मशीन से सीमांकन करने के पश्चात् दस्तावेज व मौके की स्थिति पंचगणों को बताई गई अर्थात् पंचगण के सामने प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन ही नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि सीमांकन दिनांक 1–5–17 को किया जाकर सीमांकन पंचनामा तैयार किया गया है जबकि फील्डबुक दिनांक 5–12–17 को तैयार की गई है जबकि दिनांक 5–12–17 की तिथि अभी आई ही नहीं है । यह यह मान भी लिया जाये कि फील्डबुक 12–5–17 को तैयार की गई है तब भी सीमांकन दिनांक को फील्डबुक तैयार नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा सर्वे नम्बर 83/2 रकबा 12.00 एकड़ पंजीकृत विकय पत्र वर्ष 2008 से कय की जाकर राजस्व अभिलेखों में उसका नामान्तरण भी हो गया है और शासकीय भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा सीमांकन प्रतिवेदन में दर्शाया गया है, परन्तु सीमांकन पर उसे किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पंचनामा में त्रुटिपूण ढॅग से फैज मोहम्मद लीगल एडवाईजर को आवेदक की ओर

से उपस्थित होना बतलाया गया है जबकि आवेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है । यह भी कहा गया कि सीमांकन कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है और स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन नहीं किया गया है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् हितबद्ध पक्षकारों को सूचना नहीं दी जाकर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है, क्योंकि अभिलेख में पक्षकारों को नोटिस जारी किये जाने का प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सीमांकन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार सीमाओं का क्रॉस चैक नहीं किया गया है । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे प्रकरण में विधिवत् पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देते हुये सीमांकन की कार्यवाही करें ।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार राज0परि0टी0टी0नगर वृत्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में विधिवत् पक्षकारों की उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही कर अग्रिम कार्यवाही करें ।

6/ यह आदेश प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/4306 (दीपा गुप्ता पत्नी श्री हरिमोहन गुप्ता विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन) पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक मूल प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर